

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर की स्मार्ट रोड परियोजना की अग्रिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-83/2021/2234/नौ-9-2021-124ज/21, दिनांक 07.12.2021 द्वारा स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर हेतु स्मार्ट रोड परियोजना लागत रू0 1356.64 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-119/2021/2616/नौ-9-2021-124ज/21, दिनांक 28.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 289.16 लाख (रू0 दो करोड़ नवासी लाख सोलह हजार मात्र) निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-132 /2022/4082/001-Computer No 1521715-124ja-21, दिनांक 16.11.2022 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 339.16 लाख (रू0 तीन करोड़ उनतालिस लाख सोलह हजार मात्र) निर्गत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-21 /2023/435/002-Computer No 1521715-124ja-21, दिनांक 17.03.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 339.16 लाख (रू0 तीन करोड़ उनतालिस लाख सोलह हजार मात्र) निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1666/106/SSCM/2021-22, दिनांक 08.12.2023 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर की स्मार्ट रोड परियोजना हेतु उक्त अनुबंध की अन्तिम कुल लागत धनराशि (समस्त करों सहित) रू0 1353.51 लाख के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 67.6755 लाख रोकते हुए अंतिम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 268.3545 लाख (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार चार सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

**नियम व शर्त/प्रतिबन्धों**


(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, शाहजहांपुर को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) शासनादेश संख्या-83/2021/2234/नौ-9-2021-124ज/21, दिनांक 07.12.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,68,35,450 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार चार सौ पचास मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 **लेखाशीर्षक 2217050510300** राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

**संख्या- 105/2023/2647/नौ-9-2023-001-ई-1521715, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
- 4- मण्डलायुक्त, बरेली।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 8- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहांपुर।
- 10- प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, उ0प्र0।
- 11- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 12- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।